



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1701]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936

No. 1701]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2014

का.आ. 2179(अ).—यतः मै० क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो पंजाब राज्य में एक निजी संगठन है, ने पंजाब राज्य के जिला मोहाली, फोकल पॉइंट इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज—VIII—एक्सटेंशन में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम (8) के साथ पठित के अधिनियम, की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 2 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1898 (अ) में उक्त विशेष आर्थिक जोन के रूप में 13.75 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र अधिसूचित किया था;

और यतः, मै० क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 3.63 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, पंजाब सरकार ने उनके दिनांक 28 दिसंबर, 2012 के पत्र सं. यूएस/सीओ-पीएफसी/क्वार्कसिटी/7256 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 3.63 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 3.63 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 10.12 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् :-

तालिका				
क्र. सं.	भूखण्ड सं.	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित होने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	परिमाणी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	ए-40 ए	13.75	3.63	10.12

[फा. सं. एफ. 2/7/2005—एसईजेड]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2014

S.O. 2179 (E). – Whereas, M/s. Quarkcity India Private Limited, a private organization in the State of Punjab, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology at Focal Point Industrial area, Phase VIII-Extension, District Mohali, in the State of Punjab;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 13.75 hectares, at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 1898(E), dated 2nd November, 2006;

And, Whereas, M/s. Quarkcity India Private Limited has now proposed to de-notify an area of 3.63 hectares of the above Special Economic Zone;

And, Whereas, the State Government of Punjab has given its “No Objection” to the proposal *vide* letter No. US/CO-PFC/Quarkcity/7256, dated 28th December, 2012;

And Whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 3.63 hectares of the Special Economic Zone;

And, Whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 3.63 hectares, thereby making resultant area as 10.12 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S. No.	Plot No.	Notified Area (in hectare)	Area being de-notified (in hectare)	Resultant Area (in hectare)
1.	A-40A	13.75	3.63	10.12

[F. No. F. 2/7/2005-SEZ]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.